मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांकः 2546 / 2367784 / 2024 / 26–2 भोपाल, दिनांक 19 / 12 / 2024
प्रति,

समस्त,
जिला–कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कलेक्टर को ब्याज की राशि से रूपये 2.00 लाख एवं ब्याज राशि की अनुपलब्धता होने पर मूलधन की राशि से अधिकार प्रत्योजित करने के संबंध में।

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कलेक्टर को ब्याज की राशि से रूपये 2.00 लाख एवं ब्याज राशि की अनुपलब्धता होने पर मूलधन की राशि से अधिकार प्रत्योजित करने के संबंध में म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 18 / 12 / 2024 को संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। प्रकाशित अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

2 / – जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन / ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार होंगे अर्थात् 2.00 लाख से अधिक की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिये वह निराश्रित निधि ई–पैमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च / आहरण कर सकेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अंकिता धाकरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

क्रमांकः 2547 / 2367784 / 2024 / 26–2 भोपाल, दिनांक 19 / 12 / 2024
प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल म0प्र0।
2. समस्त, संभागीय आयुक्त, म0प्र0।
3. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग म0प्र0।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 26, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. 2367784—2024—छब्बीस—2.— मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6(2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार होंगे, अर्थात् वह रुपए 2.00 लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई—पेमेन्ट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च/आहरण कर सकेंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.